5475/16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

57273

विलेख विकास अनुबन्ध (डेवलपर डीड)

अमर नाथ मौर्या पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या निवासी मकान नं0 एन. 10/59ए-1, मोहल्ला व मौजा ककरमत्ता (लखरॉव), वार्ड नगवां, जिला वाराणसी।

......प्रथमपक्ष/भूस्वामी

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 457268

रूद्रांश बिल्डर एंड डेवलपर्स स्थित सी0 33/58डी-2ए, चित्तूपुर, सिगरा, वाराणसी जरिये पार्टनर अनिल प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 श्री कैलाश नाथ सिंह निवासी सी0 21/98 मोहल्ला पिशाच मोचन (महामण्डल नगर), हल्का चेतगंज, शहर वाराणसी व शाश्वत उपाध्याय पुत्र श्री ओ0एन0 उपाध्याय लेन नम्बर 1, प्लाट नं0 180, श्रीराम नगर कालोनी (बजरडीहा), हल्का नगवां, शहर वाराणसी। मो॰ 9621611113

.....द्वितीयपक्ष

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 457267

विदित हो कि आराजी नं० 445 रकबा 4080 वर्गफीट यानि 379.182 वर्गमीटर स्थित मौजा कछवरमता, वार्ड कबायां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी का तनहां मालिक प्रथमपक्ष है। जो उसे आपसी बँटवारा मे तनहां प्राप्त हुई है। मूल खातेदारान अपने-अपने अंश पर मालिकाना काबिज दखील है। किसी खातेदार का किसी दूसरे खातेदार के अंश से कोई वास्ता सरोकार नही है तथा इस प्रथमपक्ष उपरोक्त जायदाद पर बतौर मालिक काबिज दखील रहकर उसका हर तरह से उपयोग करता चला आ रहा है। अतः जायदाद मजकूर से प्रथमपक्ष के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता व सरोकार नही है। मौजूदा समय से प्रथमपक्ष के पास आर्थिक क्षमता नही है कि वे जायदाद मजकूर बशक्ल खुली भूमिपर किसी प्रकार का निर्माण आदि करा सके।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

457274

द्वितीयपक्ष जिनका एकल रुप से व अन्य बिल्डरो के साथ मिलकर ठेके व डेवेलपर्स अनुबन्ध के आधार पर आवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण का कार्य करना व खरीद फरोख्त करना आदि है, से प्रथमपक्ष ने इस्तेदुआ किया कि द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष की जमीन पर अपने खर्चे से वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मान्य स्वीकृत नक्शे के अनुरुप आवासीय भवन का निर्माण करावे एवं बदले में निर्मित अनिर्मित क्षेत्रो में अपने 55 प्रतिशत हिस्से का पूर्ण भाग या तो रख ले या अपने नामिनी या किसी अन्य के हक में अपने-अपने हिस्से का बैनामा, सट्टा किरायेदारी, लीज आदि करे उससे प्रथमपक्ष को कोई उज्र एवं एतराज नही होगा। उस पर द्वितीयपक्ष ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए प्रथमपक्ष के इस्तेदुवा को कबूल व मंजूर कर लिया लिहाजा पक्षकारगण

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 457266

स्वस्थ्य चित्त प्रसन्न मन से बिना किसी दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क से प्रथमपक्ष जमीन मालिक व द्वितीयपक्ष डेवलपर्स अपने वारिसानो व कायम मुकामानो के साथ अग्रलिखित शर्तो व नियमो के आधार पर एक दूसरे के निम्न शरायतो से पाबन्द करते व होते है:-

1. यह कि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष डेवलपर्स भवन निर्माता को नीचे उल्लिखित प्लाट को विकसित कर भवन निर्माण करने की अनुमति देते हुए एकरारनामा आज बिल्डर्स एग्रीमेन्ट कर रहा है एवं आज की तारीख तक किसी भी प्रकार का टैक्स बकाया होगा तो वह प्रथमपक्ष को देना होगा।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 457265

2. यह कि द्वितीयपक्ष अग्रलिखित कार्यों का जिम्मेदार होगा:-

अ:- यह कि द्वितीयपक्ष भवन निरमाण में लगने वाले सम्पूर्ण रकम को स्वयं या मार्फत वित्त संस्था से उक्त प्रोजेक्ट पर अपने दर हिस्से आने वाले 55 प्रतिशत को वित्त पोषित करा ले, यदि द्वितीयपक्ष वित्त संस्था के लोन को समय से अदा करने में असमर्थ रहेगा या किसी भी प्रकार कोई अवैधानिक कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में उक्त वित्त संस्था को यह अधिकार होगा कि वह अपने ऋण की अदायगी द्वितीयपक्ष के दीगर जायदाद से वसूल करेगा, इसमें प्रथमपक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नही होगा।

ब:- यह कि भवन निर्माण द्वितीयपक्ष अपनी तरफ से वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग आदि

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 457272

विभागो से स्वयं अपने खर्च पर सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही आदि निष्पादित करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी। जिसके कानूनी कार्यवाही आदि हेतु प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष का सहयोग करेगा।

स:- यह कि बी०डी०ए० द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार द्वितीयपक्ष प्रत्येक तल पर 55 प्रतिशत निर्मित व अनिर्मित रकबा के हकदार होंगे एवं प्रथमपक्ष प्रत्येक तल पर 45 प्रतिशत के निर्मित व अनिर्मित क्षेत्रफल के हकदार होंगे। अगर भविष्य में द्वितीयपक्ष द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त कोई निर्माण किया जाता है तो उस स्थिति में बी०डी०ए० द्वारा कम्पाउण्डिंग (तावान), इत्यादि का खर्च द्वितीयपक्ष वहन करेगा।

अमर नाथ मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 457271

8

3. यह कि निर्माण कार्य में द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण रकम लगायेगा व भवन निर्मित करके सम्पूर्ण सुविधा अपने संसाधन से उपलब्ध करायेगा तथा समस्त मजदूर निर्माण सामग्री आदि के रकम से प्रथमपक्ष का कोई भी रुपया खर्च स्वीकार न होगा।"

4. यह कि मौजूदा समय में जायदाद मजकूर के भू-भाग पर प्रस्तावित भवन में विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण होना निश्चित हुआ है एवं कार पार्किंग व अन्य जरूरी बातों की पूर्ति उपरोक्त के अतिरिक्त बेसमेंट बनाकर किया जायेगा, जिस पर प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष अपने-अपने हिस्से के हकदार होंगे।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 457270

5. यह कि भवन विभाजन के पश्चात् विभिन्न भवन के छत का प्रयोग दोनो पक्ष सिर्फ जल संयोजन आदि सम्बन्धी उपयोगों के लिये करेंगे तथा शेष छत का स्वत्व होगा।
6. यह कि पक्षगण अपने-अपने अंशो का प्रयोग चाहे तो स्वयं करें या अपने-अपने वारिसों को अपने-अपने हक अंशो पर काबिज दखील कराकर करायें, उससे किसी पक्ष को कोई एतराज नही होगा तथा दोनो पक्षो को अपने-अपने हिस्से का किसी अन्य के हक में हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. यह कि पक्षगण या उनके वारिसान भवन मकान के सामने ड्रेनेज, सैप्टी व सीवर या अपने-अपने अंशो के भवन के

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 457269

अनिर्मित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण आदि कायम नही करेगा अन्यथा वह बातिल व नाजायज होगा।

8. यह कि पक्षगण को यह हक है कि वे अपने-अपने हिस्से में आने वाले निर्मित व अनिर्मित क्षेत्रों का बैनामा सट्टा आदि अपने हस्ताक्षर से तहरीर करें एवं कागजात सरकारी व माल में अपना-अपना नाम दर्ज करायें, इसमें किसी पक्ष को कोई एतराज नही होगा।

9. यह कि द्वितीयपक्ष निर्माण में प्रथमपक्ष के 45 प्रतिशत हिस्से में चुना, वायरिंग व फर्शमय कामर्शियल मार्बल, सीवर लाइन, खिड़की, दरवाजा, सभी फिनिशिंग के साथ कराकर प्रथमपक्ष के हवाले करेगा एवं प्रथमपक्ष का भाग जैसे अनुपात मंजिल अक्षल

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 457276

में व मुताबिक, नक्शा निर्मित होता जाएगा, द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष का कब्जा दखल करा देगा।

10. यह कि द्वितीयपक्ष अनुबन्ध विलेख के अनुसार प्राप्त अपने अंश का निर्माण व अन्तरण जिस अनुपात में करेगा, उसी अनुपात में प्रथमपक्ष के हक का निर्माण कराकर पहले प्रथमपक्ष को अध्यासित करायेगा। द्वितीयपक्ष के द्वारा उपरोक्त शर्तों के तहत किये जाने वाले सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रथमपक्ष किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेगा।

11. यह कि द्वितीयपक्ष बिल्डिंग एग्रीमेन्ट के तारीख से वी.डी.ए. के द्वारा नक्शा पास कराके 36 माह के अन्दर द्वितीयपक्ष बहुमंजिली

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

457275

इमारत का निर्माण करा देगा। हालाकि विशेष परिस्थितियों में 4 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जायेगा।

12. यह कि निर्माण कार्य के दौरान किसी आकस्मिक घटना के तहत द्वितीयपक्ष किसी बीमारी के कारण काय करने में असमर्थ हो जाय तो उस दशा में द्वितीयपक्ष के वारिसान को यह हक है कि वे अधूरे निर्माण कार्य को स्वयं या किसी अन्य के मार्फत विलेख मौजूदा के तहत कार्य पूर्ण कराकर निर्धारित अनुक्रमों के अंशो के तहत हिस्सा प्राप्त करें।

13. यह कि द्वितीयपक्ष निर्माण कार्य के सम्पादनार्थ अपनी तरफ से मजदूर, इंजीनियर, सह ठेकेदार या पार्टनर आदि नियुक्त करके उससे कार्य कराने का पूर्ण अधिकार रखते है, जिसमें प्रथमपक्ष

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 790879

को कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही होगा और न ही उसके जरिये किये गये कार्यो के लिये प्रथमपक्ष जिम्मेदार होगा।

14. यह कि यदि द्वितीयपक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान प्रथमपक्ष की तरफ से कोई अन्य दावेदार उत्पन्न होकर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा कर दें, जिस कारण द्वितीयपक्ष द्वारा कार्य पूर्ण कराना सम्भव न हो सके या उस वक्त के काबिज हकदारो को किसी प्रकार की असुविधा हो या काबिज हकदारो से उनका हक निकल जाय, ऐसी परिस्थिति में प्रथमपक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह उत्पन्न विवादित मामले को अपने हक से या तो रुपया ले देकर सुलह समझौता कर विवाद का निस्तारण करें अन्यथा प्रथमपक्ष उस वक्त के काबिज होने वाले

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 790880

हकदारो को क्षतिपूर्ति बाजार दर के हिसाब से सय ब्याज के साथ रुपया अदा करें। इससे द्वितीयपक्ष का कोई वास्ता व सरोकार न होगा।

15. यह कि मौजूदा अभिलेखों में पक्षगणो के बीच सामान्य अनुबन्ध बशक्स डेवलपर्स विलेख एवं सम्पूर्ण अधिकार अलाबा मालिकाना के रूप मे तहरीर हो रहा है। जिसके अनुसार द्वितीयपक्ष निर्मित होने वाले भवन में अपने हिस्से में आये प्रतिशत में निर्मित व अनिर्मित अंश प्राप्त कर रहा है एवं उसी रूप से प्रथमपक्ष मुताबिक नक्शा अपने हिस्से में आये निर्मित व अनिर्मित अंश का हक प्राप्त करेगा। दोनो पक्षो को यह हक होगा कि वे

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 790881

अपने-अपने अंश में आये निर्मित व अनिर्मित अंश का उपयोग उपभोग करें या मुन्तलिक करें।

16. यह कि प्रस्तावित भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रथमपक्ष अपने अंश के निर्मित हिस्से में आने वाले 45 प्रतिशत के पानी, बिजली, भवनकर, जलकर इत्यादि का चार्ज स्वयं वहन करेगा एवं द्वितीयपक्ष अपने हिस्से में आने वाले 55 प्रतिशत के भाग का खर्च स्वयं वहन करेगा।

17. यह कि किन्ही कारणोवश प्रश्नगत सम्पत्ति पर द्वितीयपक्ष की गलती से निर्माण नही हो पाता है तो उस स्थिति में जो भी खर्च हुआ होगा, उस खर्च का जिम्मेदार द्वितीयपक्ष होगा।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 790928

18. यह कि किसी कारणोवंश प्रश्नगत सम्पत्ति का प्रथमपक्ष की गलती से निर्माण नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में जो भी खर्च हुआ होगा उस खर्च का जिम्मेदार प्रथमपक्ष होगा।

19. यह कि प्रस्तावित भवन के निर्माण के पश्चात् जब तक प्रस्तावित भवन के अध्यासियों की हाउसिंग सोसाइटी अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक उक्त भवन के बाहरी व कामन पैसेज एवं अन्य कामन अंश की देखरेख, सफाई व्यवस्था, सामान्य मरम्मत, पूजा कलि, दरबान एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी पक्षगण संयुक्त रूप से अंश मुताबिक निर्वहन करेंगे।

20. यह कि जरिये विलेख हाजा प्रस्तावित भवन के 55 प्रतिशत निर्मित भाग के अंश को विक्रय करने हेतु अनुबन्ध करने,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 792171

किराये पर देने अथवा अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार द्वितीयपक्ष को होगा एवं 45 प्रतिशत अंश को विक्रय करने, विक्रय हेतु अनुबन्ध करने, किराये पर देने अथवा अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग-उपभोग करने का अधिकार प्रथमपक्ष का होगा। निर्मित होने वाले भवन के निर्मित उपयोगी इकाई क्षेत्रफल व चौहद्दी तल के अनुसार पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दर्शाया जायेगा।

21. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के मध्य में प्रथमपक्ष के वारिसान व प्रथमपक्ष से सम्बन्धित किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी अड़चन पैदा कर दी जाये। जिससे कानूनन व स्वाभाविक रूप से द्वितीयपक्ष द्वारा मौजूदा विलेख के अन्तर्गत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 792172

किये जा रहे निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाये एवं उस विवाद को हल किये बगैर द्वितीयपक्ष द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य को पूर्ण होना मुमकिन न रह जाये तो उस विवाद या पचड़े में पड़े बिना आपसी सहमति या लेन-देन कर उस विवाद को उस व्यक्ति या संस्था से सुलह समझौता कर प्रथमपक्ष सर्वप्रथम निपटारा करेगा अन्यथा द्वितीयपक्ष को यह हक होगा कि उस उत्पन्न विवाद को हल कर मध्यस्थो के समक्ष तात्कालिक सुलह-समझौता करें तथा उस पर खर्च हुए रुपये को प्रथमपक्ष के दर आये निर्मित हिस्से में से मोजर कर लेवेगा एवं विवाद के दौरान का समय भवन निर्माण होने वाले निर्धारित समय में आंकलन नहीं किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 790807

22. यह कि प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य इस इकरारनामें के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद का निस्तारण सम्मिलित रूप से नामित आर्बिट्रेटर द्वारा किये जायेगा। ऐसी किसी आर्बिट्रेशन की स्थिति में आर्बिट्रेशन एण्ड रिकन्सिलियेशन एक्ट 1996 लागू होगा।

23. यह कि द्वितीयपक्ष को यह हक व अधिकार होगा कि वह प्रथमपक्ष की निम्नवर्णित भूमि पर उक्त भूमि से सम्बन्ध जमीन को मिलाकर भवन निर्माण का कार्य कर सकेगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में प्रथमपक्ष को प्राप्त होने वाले निर्मित अंश में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आयेगा।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 790808

24. यह कि नगर निगम व तहसील से मालिकाना सम्बन्धी पेपर को दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की है जो सवयं अपने खर्च से दुरुस्त करायेगा व नक्शा पास कराने का सारे कार्य द्वितीयपक्ष अपने खर्चे से स्वयं करेगा। प्रथमपक्ष मानचित्र स्वीकृत कराने में द्वितीयपक्ष का सहयोग करेगा।

25. यह कि द्वितीयपक्ष 36 माह + 4 माह ग्रेस पीरियड के बाद भी बिल्डिंग कम्पलीट नही करता है तो उस स्थिति में द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष को मु0 10,000/- रुपये प्रतिमाह हर्जा अलग से देगा।

26. यह कि विवर्णित सम्पत्ति का सत्व किसी व्यक्ति के हक में नही हुआ है।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

20 SEP 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 790809

27. यह कि द्वितीयपक्ष आज दिन मु0 15,00,000/- रूपया जरिये चेक नं0 385901 व 385902 व 385903 प्रत्येक मालियती मुबलिग 5,00,000/- प्रत्येक दिनांकित 24.09.2016 सभी पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिगरा, वाराणसी प्रथमपक्ष के पास जमानत के रुप में जमा किया है, जो निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ———— जो प्रथमपक्ष के हिस्से में आवंटित होगा।

28. यह कि विवर्णित सम्पत्ति नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 की धारा 10(3) व 10(5) के किसी प्रावधानो से प्रभावित नही है। विवर्णित सम्पत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की नही है। उभयपक्ष भारत के नागरिक है।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 790769

29. यह कि भवन का निर्माण आर०सी०सी० ढांचे के तहत होगा जिसके खिड़की दरवाजे की चौखट लकड़ी की होगी। फर्श टाइल्स या मार्बल का होगा। किचन का प्लेटफार्म ग्रेनाइट का होगा, बाथरूम एक साधारण एक कमोड होगा एवं प्लॉट में पार्किंग, बोरिंग, जनरेटर, लिफ्ट आदि सुविधाएं होंगी। बाथरूम में सभी फिटिंग स्टैण्डर्ड ब्राण्डेड कम्पनी के समानो से होगी एवं पाइप टाटा का होगा।

30. यह कि विलेख में अन्तर्विष्ट सम्पत्ति कुल मुक्त है, जिस पर किसी प्रकार का कोई तनाजा नहीं है और प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को समस्त खुली अवस्था में ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये उपलब्ध करायी गयी है, जो जिलाधिकारी द्वारा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 790768

विन्हित मार्ग पर स्थित नही है पक्की सड़कें से 200 मीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित है। सम्पत्ति के कुल रकबा 4080 वर्गफीट यानी 379.18 वर्गमीटर की सरकारी मालियत 13500/- रुपया प्रतिवर्गमीटर की दर से मुबलिग 51,18,930/- रुपया होती है। अतः स्टाम्प मु0 51,19,000/- रुपये पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से मु0 3,58,400/- रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

इस वास्ते यह डेवलपर्स विलेख हम उभयपक्ष ने पढ़ व पढ़वाकर, सुन व समझकर इसके कानूनी प्रभाव से पूरी तरह वाकिफ होते हुए लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AY 114186

<u>विवरण सम्पत्ति जिसके बावत मौजूदा विलेख तहरीर हो रहा है</u>

आराजी नं0 445 रकबा 4080 वर्गफीट स्थित मौजा ककरमत्ता, वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी जो खुली भूमि है और उसपर किसी प्रकार का कोई निर्माण अवस्थित नही हे, जिसे संलग्न नक्शा में लाल तिरछी लकीरो से दर्शाया गया है जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

पूरब:- मकान व जमीन दीगर शख्स।
पश्चिम:- जुज भाग आराजी प्रथमपक्ष।
उत्तर:- जमीन धर्मादेवी पत्नी स्व0 राम प्रसाद मौर्या।
दक्षिण:- जमीन अशोक कुमार मौर्या वगैरह।

Anil Prasad ...

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 114152

उभयपक्ष ने स्वस्थ चित्त मन से भली-भाँति सोच विचारकर विलेख अनुबन्ध में उल्लेखित शर्तों को पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर व उसके प्रभाव से भली-भाँति परिचित होकर समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया कि समय पर काम आवे व प्रमाण रहे।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

भारत

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 114188

गवाहान–

1. सन्तोष कुमार गुप्ता
श्री. राम जी गुप्ता
N 10/53 B-3 तलैया - ककरमत्ता
9335413532

2. आशीष कुमार पटेल
श्री भरत प्रसाद 9452400224
डी एल डब्लू ककरमत्ता वाराणसी
AVP-...

अमर नाथ सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 114187

3)

तहरीर तारीख- 24.09.2018

मसविदाकर्ता-

सुरेश श्रीवास्तव, एडवोकेट,
कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

टाईपकर्ता-

बी.के. कश्यप,
कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।